कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2014 / क.लि.व.लि. / गोप्र / प्रमुवस / दिनांक जुलाई, 2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 प्रावधानान्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.9.2014 को हुई थी। जिसमें श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र दीप चन्द शर्मा कनिष्ठ लिपिक के वर्ष 2009–10 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्ठि के कारण वर्ष 2013–14 की डी.पी.सी. में इन्हे पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। श्री सतीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दिए जाने से संबंधित अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह पाया गया की उक्त डी.पी.सी. के समय पात्र कर्मचारियों का ए.सी.आर चार्ट जो विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें संहवन से इनके वर्ष 2009–10 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित संतोषप्रद टिप्पणी को असंतोषप्रद अंकित कर दिया गया था इस कार्यालय के पत्रांक518 / सी दिनांक 19.3.2015 से शासन उप सचिव, वन राज.जयपुर को वर्ष 2013–14 की वरिष्ठ लिपिक की रिव्यू-डीपीसी किए जाने की अनुमति चाही जाने पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को रिव्यू किए जाने की दिनांक 5.6.2015 से सहमति प्रदान की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 16.7.2015 को आयोजित बैठक में श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री दीप चन्द कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाए जाने पर वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान 5200–20200, पे बैण्ड–1 ग्रेड पे–10 (2800) में स्थानापन्न रूप से पदोन्नति करते हुए इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते है:–

क्र. स..	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान
1	सतीश कुमार शर्मा	दीप चन्द		उप वन संरक्षक, वन्यजीव कोटा	मुख्य वन संरक्षक, कोटा

श्री सतीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा दिनांक 22.7.2015 तक वरिष्ठ लिपिक के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देगे तो ये मान लिया जावेगा कि ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है, एवं इस अवसर को फोरगो (FORGO) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(डा0 एस.एस.चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2014 / गोप्र / प्रमुवस / 2319-2325 दिनांक21 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव कोटा / कोटा
2. उप वन संरक्षक, वन्यजीव कोटा ।
3. श्री सतीश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक द्वारा उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा
6. रक्षी पत्रावली।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राज.जयपुर